न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 23/2021

प्रार्थीनीगण :–

1. वीणा गुप्ता पुत्री नवल किशोर जाति अग्रवाल
2. उषा बंसल पत्नि अशोक बंसल जाति अग्रवाल

निवासी शांति नगर, बालोतरा तहसील पचपदरा जिला –बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा ।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित 1. श्री अचलाराम थोरी वकील प्रार्थीनीगण स्वंय
2. सरकारी पैरोकार उप तहसीलदार जसोल

दिनांक :–16.4.2021

आदेश

प्रार्थीनीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि सरहद मौजा मण्डापुरा के खसरा संख्या – 3023/226 रकबा 10 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 3024/226 रकबा 1 बीघा 01 विस्वा 10 विस्वांसी खातेदारी भूमि आई हुई है, जिसमें आने जाने के लिये खेत खसरा नम्बर 1108/200 रकबा 08.08 सरहद मण्डापुरा में से 30 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये हिस्से ए से बी बरंग लाल, अनुसार रास्ता घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार पचपदरा से मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गयी तहसीलदार पचपदरा के पत्र संख्या राजस्व/2020/723 दिनांक 01.04.2021 से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा के द्वारा मौका रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि मौजा मंडापुरा के खेत खसरा न0 खसरा संख्या – 3023/226 रकबा 10 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 3024/226 रकबा 1 बीघा 01 विस्वा 10 विस्वांसी जो प्रार्थीनीगण के नाम खातेदारी भूमि है जिसमे आवागमन हेतु प्रार्थीनीगण द्वारा खसरा न0 1108/200 में से चाही गई आवेदित भूमि रास्ते की है, परन्तु इस प्रकार के रास्ते से खसरा नम्बर 1108/200 के तीन टुकड़े होते है, जो कि राजकीय आरक्षित भूमि है।जिससे आरक्षित भूमि अलग–अलग टुकड़ों में विभक्त न हो इसकी बजाय वैकल्पिक रूप से उक्त नजरी मानचित्र में दर्शाए अनुसार मार्क सी से सी–1 एवं सी–1 से डी तक रास्ता दिया जाना उचित होना बताया गया है, बिन्दु संख्या मार्क सी से सी–1 एवं सी–1 से डी तक प्रस्तावित की है, प्रस्तावित भूमि की वर्तमान [illegible] रुपये प्रति बीघा है। रास्ते हेतु हितबद्ध पक्षकारों की बाद सुनवाई [illegible] दि[illegible] जावे।

प्रार्थीनीगण के विद्वव[illegible]को सुना गया, प्रार्थीनीगण के विद्ववान अधिवक्ता [illegible] एवं एतराज फर्द मौका [illegible] प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीनीगण [illegible]त खसरा नम्बर 3024/[illegible] मौजा मण्डापुरा में आवागमन हेतु खसरा संख्या 1108/200 मे से 30 फीट की चौडा आवागमन हेतु रास्ता चाहा जो परिशिष्ट "अ" में मार्क अ से ब है। प्रार्थीनीगण के उक्त भूमि मे से सबसे सुलभ व सुगम निकटतम रास्ता खसरा संख्या 1108/200 में से ही है, किन्तु मौका रिपोर्ट तहसीलदार पचपदरा से मंगवाई गई

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:29:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उसमें हल्का पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा गलत तौर पर प्रकरण को लम्बा करने की नियत से खसरा संख्या 1108/200 में से प्रस्तावित करने के बजाय पड़ोसी खसरा संख्या 1113/203, 202, 1111/201, 1110/201, 1108/200 मे से देना बताया गया है। मौका रिपोर्ट में मार्क सी से सी-1 एवं सी-1 से डी रास्ता प्रस्तावित में कई विकट मोड़ है, तथा मार्क ए से बी की दूरी से मार्क सी, सी-1 डी तक की दूरी अधिक है, यदि भू-अभिलेख निरीक्षक, पटवारी द्वारा प्रस्तावित रास्ता लम्बा भी है, जो प्रकरण को लम्बा करने की नियत से प्रस्तावित किया गया है। प्रार्थीनीगण के द्वारा ने जिस जगह मार्क अ से ब रास्ता चाहा है, वो भूमि मौके पर खुली व खाली है, जिससे कोई राजहित भी प्रभावित नहीं हो रहा है, उल्टा विकट मोड वाले मार्क सी, सी-1 डी में कई खातेदारान को भी पक्षकार बनाने पड़ेगा, जिससे असुविधा होगी, तथा प्रकरण में जटिलता भी उत्पन्न होगी वर्तमान प्रकरण एक विविध प्रकरण है, जो समरी प्रक्रिया का है, प्रार्थीनीगण खातेदार को रास्ता की सख्त आवश्यकता है, आगामी वर्षात काश्त के बिन्दु को ध्यान में रखकर उक्त समरी प्रकृति के प्रकरण का निस्तारण यथाशीघ्र किया जावे। अंत में लिखित बहस , आपत्ति मौका फर्द प्रस्तुत कर पुनः निवेदन किया कि माफिक परिशिष्ट "अ" रास्ता की स्वीकृति प्रदान करावे, तथा प्रस्तावित रास्ता मार्क सी, सी-1 डी के बिन्दु को अस्वीकृत किया जावे।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया गया तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 18.03.2021 के अनुसार रास्ता आवागमन के लिए नजरी मानचित्र में दर्शाए अनुसार मार्क सी से सी-1 एवं सी-1 से डी तक रास्ता प्रार्थीनीगण के लिए अत्यधिक कठिन रहेगा, क्योकि प्रार्थीनीगण को जहां से रास्ता आवेदन किया है वह ही नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता है, प्रार्थीनीगण के द्वारा तहसीलदार पचपदरा के द्वारा वैकल्पिक रूप से उक्त नजरी मानचित्र में दर्शाए अनुसार मार्क सी से सी-1 एवं सी-1 से डी तक रास्ता दिया जाना उचित होना बताया गया है, बिन्दु संख्या मार्क सी से सी-1 एवं सी-1 से डी तक के मध्य हितबद्ध पक्षकारों की बाद सुनवाई के लिए नया रास्ता प्रस्तावित किया गया है, जो प्रार्थीनीगण के आवेदन को केवल मात्र लम्बा करने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया जाना प्रतीत होता है। हमनें पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया। प्रार्थीनीगण के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार एवं तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 18.03.2021 के अनुसार मौजा मण्डापुरा के खसरा संख्या 3023/226 रकबा 10 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 3024/226 रकबा 1 बीघा 01 विस्वा 10 विस्वांसी मे आने जाने के लिये खेत खसरा नम्बर 1108/200 रकबा 08.08 सरहद मण्डापुरा में से 30 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु नक्शा मानचित्र मार्क ए से बी या डी अंकित के अनुसार अवलोकन किया गया। तहसीलदार, पचपदरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे मौका एवं रेकार्ड से जावं की गई जिसके अनुसार न्यूनतम दूरी अनुसार प्रार्थीनीगण की भूमि में आवागमन हेतु 30 फीट चौडा रास्ता दिये जाने पर रास्ते की भूमि मार्क ए से डी तक केवल 56 गठा ही है, अर्थात 10 बिस्वा 04 बिस्वांशी ही होती है। चुंकि प्रार्थीमण खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु चाहा गया है। इस संबंध में सयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(52) राज-6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के द्वारा राजकीय भूमि में से रास्ते के लिए प्रावधान धारा [illegible] में प्रावधित किया गया है। जो अधिक निकट एवं उपयुक्त है, जो [illegible] जनार्थ आरक्षित भूमि है मौके पर खाली एवं विवाद[illegible] डीएलसी0 दर 1274130/- रूपये प्रति बीघा [illegible] रास्ते हेतु कुल रकबा 10 बिस्वा 04 बिस्वांशी भूमि बनती है। तहसीलदार [illegible]दरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक18.03.2021 के अनुसार मौजा मण्डापुरा के खसरा संख्या - 3023/226 रकबा 10 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 3024/226 रकबा 1 बीघा 01 विस्वा 10 विस्वांसी मे आने जाने के लिये खेत खसरा नम्बर 1108/200 रकबा 08.08 सरहद मण्डापुरा में से 30 फीट चौडा रास्ता आवेदन पत्र के अनुसार मार्क अ से ब मौका रिपोर्ट के अनुसार दिया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत है। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:29:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रस्तावित नया रास्ते की दूरी अधिक है, जो एक काश्तकार के लिए रास्ता विकट मोड़ का है, ऐसी स्थिति में प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीनीगण के लिए अत्यधिक कठिन एवं लम्बा प्रतीत होता है, राज्य सरकार की मंशा के अनुसार तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित किया गया रास्ता अनुकूल नहीं है, वैकल्पिक रूप में रास्ते के लिए समरी प्रकिया के अनुसार प्रस्ताव प्रार्थीनीगण के आवागमन में विकट मोड़ का सरल एवं सुगम नही होने से अस्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीनीगण के आवेदन पत्र को स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन आधार पर प्रार्थीनीगण के प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार कर खेत खसरा मंडापुरा के खेत खसरा न0 – 2774/192 3023/226, रकबा 03.18.14 बीघा किस्म सेवज मे आने जाने के लिये खेत खसरा नम्बर 1108/200 रकबा 08.08 सरहद मण्डापुरा में से 30 फीट चौडा रास्ता सलग्न तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त फर्द मौका दिनांक 15.01.2021 में चिन्हित मार्क ए से डी के अनुसार 56 गठा भूमि का 10 बिस्वा 04 बिस्वासी भूमि रास्ता स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थीनीगण इस हेतु डी.एल.सी रेट 12,74,130/– प्रति बीघा निर्धारित है, जिसके अनुसार रास्ते के लिए मार्क ए से डी तक 10 बिस्वा 04 बिस्वांसी प्रभावित भूमि की राशि 6,63,000 रूपये की नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति के रूप में राशि रूपये 13,26,000/– रूपये राज्य सरकार के खाते में तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। राशि जमा होने पर ही तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

3024/226 रकबा ... 10 बिस्वा, 1 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी ... जाता है

मौका रिपोर्ट दिनांक 18.03.2021 में चिन्हित किया गया नक्शा में मार्क ए से डी इस निर्णय भाग समझ कर साथ पढा जाएं।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा
26/5/21

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 16.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:29:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner